मध्यप्रदेश विधान सभा

मार्च, 2022 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 11 मार्च, 2022 (फाल्गुन 20, 1943)

समय 11.00 बजे दिन

1. प्रश्नोत्तर.

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

2. पत्रों का पटल पर रखा जाना.

(1) **श्री जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री,** भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार-

(क) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा तैयार मध्यप्रदेश सरकार के वित्त लेखे (खण्ड-I) एवं (खण्ड-II) वर्ष 2020-2021 तथा विनियोग लेखे वित्तीय वर्ष 2020-2021,

(ख) 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का मध्यप्रदेश में डायल 100 आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली पर मध्यप्रदेश शासन का वर्ष 2020-2021 का प्रतिवेदन संख्या-6,

(ग) मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 130 (क) की उपधारा (2) एवं म.प्र.नगरपालिक अधिनियम, 1961 की धारा 122-क की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार नगरीय निकायों पर संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा म.प्र.का वार्षिक संपरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2018-2019, एवं

(घ) मध्यप्रदेश पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 129 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार त्रि-स्तरीय पंचायतराज संस्थाओं का संचालक स्थानीय निधि संपरीक्षा का वार्षिक संपरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2018-2019

पटल पर रखेंगे.

(2) **श्री बिसाहूलाल सिंह, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री,** राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 (क्रमांक 20 सन् 2013) की धारा 16 की उपधारा (6) (च) के अधीन मध्यप्रदेश शासन द्वारा बनाये गये मध्यप्रदेश खाद्य सुरक्षा नियम, 2017 के नियम 15 के उपनियम (5) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य खाद्य आयोग, भोपाल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021-2022 पटल पर रखेंगे.

(3) **श्री भूपेन्द्र सिंह, नगरीय विकास एवं आवास मंत्री,** दि रियल एस्टेट (रेग्युलेशन एण्ड डेव्हलपमेंट) एक्ट, 2016 (क्रमांक 16 सन् 2016) की धारा 78 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण मध्यप्रदेश का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-2021 पटल पर रखेंगे.

(4) **श्री गोविन्द सिंह राजपूत, राजस्व मंत्री,** मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन. 1959) की धारा 258 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक-एफ-2-6/2021/सात/शा.7, दिनांक 12 जनवरी, 2022 पटल पर रखेंगे.

(5) **श्री विश्वास कैलाश सारंग, चिकित्सा शिक्षा मंत्री,** मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान परिषद अधिनियम, 1987 (क्रमांक 11 सन् 1990) की धारा 27 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक-एफ-5-45-2019-पचपन, दिनांक 28 जनवरी, 2022 पटल पर रखेंगे.

(6) **श्री प्रेमसिंह पटेल, पशुपालन मंत्री,** मध्यप्रदेश पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 (क्रमांक 16 सन् 2009) की धारा 38 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर (म.प्र.) का वार्षिक अंकेक्षित लेखे वर्ष 2020-2021 पटल पर रखेंगे.

(7) **डॉ.मोहन यादव, उच्च शिक्षा मंत्री -**

(क) मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्रमांक 22 सन् 1973) की धारा 47 की अपेक्षानुसार –

(i) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2021 (अकादमिक वर्ष 30 जून 2021 को समाप्त),

(ii) विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन का 64 वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-2021,

(iii) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर (म.प्र.) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-2021, एवं

(iv) महाराजा छत्रसाल बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर (म.प्र.) का वार्षिक वर्ष 2020-2021 (दिनांक 01 जुलाई, 2020 से 30 जून, 2021 तक)

(ख) महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1995 (क्रमांक 37 सन् 1995) की धारा 39 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार महर्षि महेश योगी वैदिक विश्वविद्यालय, करौंदी, जिला-कटनी (म.प्र.) का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-2021, तथा

(ग) अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2011 (क्रमांक 34 सन् 2011) की धारा 44 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) का नवम् वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2020-2021

पटल पर रखेंगे.

(8) **श्री राजवर्धन सिंह प्रेमसिंह दत्तीगांव, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री,** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 की उपधारा (1) (ख) की अपेक्षानुसार –

(क) मध्यप्रदेश प्लास्टिक सिटी डवलपमेन्ट कॉरपोरेशन ग्वालियर लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा वर्ष 2019-2020 (दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए), तथा

(ख) मध्यप्रदेश प्लास्टिक पार्क डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड के अन्तिम लेखे वर्ष 2020-2021 (वर्ष समाप्ति 31 मार्च, 2021),

पटल पर रखेंगे.

3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यान आकर्षण.

(1) **डॉ. गोविन्द सिंह, डॉ. सतीश सिकरवार, श्री सुरेश राजे,** सदस्य, भिण्ड जिले में ओलावृष्टि क्षतिपूर्ति वितरण में अनियमितता होने की ओर राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) **श्री आशीष गोविन्द शर्मा,** सदस्य, देवास जिले के साततलाई में मूलभूत सुविधाओं के बाद भी उद्योग स्थापित न होने की ओर औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

4. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति.

(1) श्रीमती गायत्री राजे पवार, सभापति, प्रत्यायुक्त विधान समिति का तृतीय एवं चतुर्थ प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगी.

(2) श्री पंचूलाल प्रजापति, सभापति, पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति का तृतीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

5. याचिकाओं की प्रस्तुति.

(1) **श्री देवेन्द्र सिंह पटेल,** सदस्य, रायसेन जिले के ग्राम बडोदिया से सुल्तान नगर तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(2) **कुं. रविन्द्र सिंह तोमर 'भिड़ौसा',** सदस्य, मुरैना जिले के आवारा पशुओं व गौवंश की दुर्दशा व किसानों की फसल चौपट होने से रोके जाने,

(3) **श्री हर्ष यादव,** सदस्य, सागर जिले के देवरी अंतर्गत ग्राम पंचायत महाराजपुर को नगर पंचायत घोषित कराये जाने,

(4) **श्री उमाकांत शर्मा,** सदस्य, विदिशा जिले के ग्राम कंद्राखेड़ी में सड़क निर्माण कराये जाने,

(5) **श्री पी.सी. शर्मा,** सदस्य, भोपाल शहर के वार्ड क्र. 47 अंतर्गत जय भीम नगर में नई सीवर लाईन डलवाये जाने,

(6) **डॉ. सतीश सिकरवार,** सदस्य, ग्वालियर जिले के वार्ड क्र-59 महादजी नगर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने,

(7) **श्री केदारनाथ शुक्ल,** सदस्य, सीधी जिला मुख्यालय में सर्व-सुविधा युक्त क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण कराये जाने,

(8) **श्री देवीलाल धाकड़,** सदस्य, मंदसौर जिले के गरोठ अंतर्गत अमरवास बालाजी मंदिर से नगर परिषद कार्यालय तक नवीन सड़क का निर्माण कराये जाने,

(9) **श्री अशोक ईश्वरदास रोहाणी,** सदस्य, जबलपुर जिले के तिलहरी अंतर्गत रानी अवंती बाई वार्ड में नर्मदा जल प्रदाय कराये जाने,

(10) **श्री अनिल जैन,** सदस्य, निवाड़ी जिले के राजापुर से ग्राम कुलुवा तक बरूआ नाला बांध से निकली नहर का विस्तार किये जाने,

(11) **श्री संजय यादव,** सदस्य, जबलपुर जिले के बरगी अंतर्गत शहपुरा भिटौनी की ग्राम पंचायतों को आवासीय पट्टे वितरण कराये जाने,

(12) **श्री पुरूषोत्तमलाल तंतुवाय,** सदस्य, दमोह जिले के हटा अंतर्गत ग्राम पंचायत मड़ियादो में बायपास मार्ग बनाये जाने,

(13) **श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल,** सदस्य, बालाघाट जिले के खैरलांजी में शासकीय विश्राम गृह निर्माण की स्वीकृति प्रदान किये जाने,

(14) **श्री धर्मेन्द्र भावसिंह लोधी,** सदस्य, दमोह जिले के ग्राम कोड़ाकलां से कोडाखुर्द तक डामरीकृत सड़क निर्माण कराये जाने,

(15) **श्री हर्ष विजय गेहलोत,** सदस्य, रतलाम जिले के ग्राम देवरूण्डा दौलतपुरा से सैलाना शिवगढ़ रोड केदारेश्वर घाट तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(16**) श्री मुकेश रावत (पटेल),** सदस्य, अलीराजपुर जिले के ग्राम चोहजी में बड़ी चोहजी फलिया से छोटी चोहजी फलिया गुजरात सीमा तक वाले मार्ग पर पुलिया निर्माण कराये जाने,

(17) **श्री यशपाल सिंह सिसौदिया,** सदस्य, मंदसौर शहर में रेवास देवड़ा मार्ग पर MIT चौराहे पर ओव्हर ब्रिज का निर्माण कराये जाने,

(18) **श्री आलोक चतुर्वेदी,** सदस्य, छतरपुर जिले के ग्राम पुछी में कदारी नाले पर रिपटा निर्माण कराये जाने,

(19) **श्री प्रताप ग्रेवाल,** सदस्य, धार जिले के आम्बा-गोन्दीरेला में सिंचाई हेतु तालाब निर्माण कराये जाने,

(20) **श्री ग्यारसीलाल रावत,** सदस्य, बड़वानी जिले के ग्राम बनिहार से फिल्टर स्टेशन गोई नदी पर ब्रिज निर्माण कराये जाने,

(21) **श्री अनिरूद्ध (माधव) मारू,** सदस्य, नीमच जिले के कुकड़ेश्वर में नवीन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आई.टी.आई.) की स्वीकृति प्रदान किये जाने,

(22) **श्री आरिफ मसूद,** सदस्य, भोपाल शहर के वार्ड क्र.06 स्थित इंद्रबिहार कालोनी में सी.सी. रोड निर्माण कराये जाने,

(23) **डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय,** सदस्य, रतलाम जिले के भिण्डाजी से उणी के मध्य चंबल त्रिवेणी संगम (नदी) पर पुल निर्माण कराये जाने,

(24) **श्री विक्रम सिंह,** सदस्य, सतना जिले के रामपुर बाघेलान अंतर्गत पशु चिकित्सालय में डॉक्टरों की पदस्थापना कराये जाने,

(25) **श्री तरवर सिंह,** सदस्य, सागर जिले के बण्डा अंतर्गत पंचमनगर बांध परियोजना (पगरा बांध) से ग्राम सासा, बिन्नई, बम्हौरी सागर, बमनौरा को सिंचाई से जोड़े जाने,

(26) **श्री जालम सिंह पटेल,** सदस्य, नरसिंहपुर जिले के ग्राम निवारी (पान) माइनर नहर नं.02 से बड़ी नहर झिरीहार तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(27) **श्री मनोज चावला,** सदस्य, रतलाम जिले के ग्राम लसुडिया खेड़ी से ताल तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(28) **श्री शैलेन्द्र जैन,** सदस्य, सागर जिले के संत रविदास वार्ड अंतर्गत झुग्गी, झोपड़ी बस्ती में सामुदायिक भवन निर्माण कराये जाने,

(29) **श्री रामचन्द्र दांगी,** सदस्य, राजगढ़ जिले के ग्राम भोजपुरिया में सामुदायिक भवन निर्माण कराये जाने,

(30) **श्री दिनेश राय 'मुनमुन',** सदस्य, सिवनी जिले के ग्राम भटमतरा से पांडीवाड़ा तक मार्ग निर्माण कराये जाने,

(31) **श्री पंचूलाल प्रजापति,** सदस्य, रीवा जिले के महमूदपुर पताई वाया पटना, करारी एवं फूल पहुंच मार्ग का निर्माण कराये जाने,

(32) **श्री रामपाल सिंह,** सदस्य, रायसेन जिले के लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत सड़कों को वन भूमि से अनुमति दिलवाकर पडरिया कला से डुगारिया एवं अन्य ग्रामों की सड़कों का कार्य प्रारंभ कराये जाने,

(33) **श्री प्रहलाद लोधी,** सदस्य, पन्ना जिले के कोलकरइया नदी पर घाट निर्माण कराये जाने,

(34) **श्री बहादुर सिंह चौहान,** सदस्य, उज्जैन जिले के ग्राम सगवाली में नवीन हाई स्कूल खोले जाने की स्वीकृति प्रदान किये जाने,

(35) **श्री दिलीप सिंह परिहार,** सदस्य, नीमच जिले के तहसील मुख्यालय पर जीरन हर्कियाखाल से जीरन मल्हारगढ़ तक बायपास मार्ग का निर्माण कराये जाने,

(36) **श्रीमती झूमा डॉ. ध्यानसिंह सोलंकी,** सदस्य, खरगोन जिले के ग्राम पंचायत राजपुरा अंतर्गत झिरन्या में नवीन पंचायत भवन की स्वीकृति प्रदान किये जाने,

(37) **श्री बापू सिंह तंवर,** सदस्य, राजगढ़ जिले के पिपलोदी मार्ग अंतर्गत सड़क के क्षतिग्रस्त टुकड़े का पुन: निर्माण कराये जाने,

(38) **श्री सुनील सराफ,** सदस्य, अनूपपुर जिले के ग्राम मलगा से चकराडहरी होते हुए बरतराई तक सड़क निर्माण कराये जाने,

(39) **डॉ. गोविन्द सिंह,** सदस्य, भिण्ड जिले के सिविल अस्पताल लहार का 50 बिस्तरीय से 100 बिस्तरीय में उन्नयन किये जाने,

(40) **श्री रवि रमेशचन्द्र जोशी,** सदस्य, खरगोन जिले के गोगवा ब्लाक की रेटवा से गोपालपुरा तक सड़क निर्माण कराये जाने,

- 4 -

(41) **श्री के.पी. त्रिपाठी,** सदस्य, रीवा जिले के ग्राम कटकी शास.पूर्व माध्यमिक विद्यालय का हाई स्कूल में उन्नयन किये जाने,

(42) **श्रीमती सुनीता पटैल,** सदस्य, नरसिंहपुर जिले के गाडरवारा अंतर्गत ग्राम उकरी में स्टापडेम का निर्माण कराये जाने,

(43) **श्री शशांक श्रीकृष्ण भार्गव,** सदस्य, विदिशा जिले के ग्यारसपुर अंतर्गत आने वाले विभिन्न ग्रामों का मनरेगा राशि से ग्रेवल सड़क का निर्माण कराये जाने,

के संबंध में याचिकाएं प्रस्तुत करेंगे.

निर्धारित समय

6. वर्ष 2021-2022 के तृतीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान.

श्री जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे –

2 घण्टे

" दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या 1, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 18, 20, 22, 26, 27, 29, 30, 33, 34, 35, 37, 38, 44, 45, 47, 49, 55, 58, एवं 64 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर पन्द्रह हजार दो सौ सोलह करोड़, नब्बे लाख, सतासी हजार, तीन सौ निन्यानवे रुपये की अनुपूरक राशि दी जाये. "

7. शासकीय विधि विषयक कार्य.

श्री जगदीश देवड़ा, वित्त मंत्री, मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2022 (क्रमांक 3 सन् 2022) का *पुर:स्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाय.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खण्डश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाय.

8. राज्यपाल के अभिभाषण पर डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य द्वारा दिनांक 7 मार्च, 2022 को प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर चर्चा का पुनर्ग्रहण .....

"राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया, उसके लिए मध्यप्रदेश विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यन्त कृतज्ञ हैं.".

9. वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा.

10. अशासकीय संकल्प.

(1) **श्री अनिरुद्ध (माधव) मारू,** सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

30 मि. "सदन का यह मत है कि मंदसौर जिला अंतर्गत आने वाली सुवासरा विधान सभा क्षेत्र की जनपद पंचायत सीतामऊ की ग्राम पंचायत के निवासियों की मांग अनुसार कयामपुर को कैलाशपुर, रहिमगढ़ को बजरंगगढ़ एवं ईशाकपुर को ईश्वरपुर बालाजी नामों में परिवर्तन किया जाये.".

(2) **डॉ.सीतासरन शर्मा,** सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

30 मि. "सदन का यह मत है कि शासकीय कर्मचारियों के खिलाफ जन प्रतिनिधियों/नागरिकों की शिकायतों का निराकरण निर्धारित समय-सीमा में किया जाए.".

(3) **श्री सुखदेव पांसे,** सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

30 मि. "यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि ट्रेन नं. 12159 अमरावती नागपुर-जबलपुर एवं ट्रेन नं. 19713-19714 मोर्शी अमरावती से जयपुर सिकन्दराबाद का स्टॉपेज मुलताई किया जाये.".

(4) **श्री उमाकांत शर्मा,** सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे -

30 मि. "यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि ब्यावरा रेल्वे स्टेशन जिला राजगढ़ से सुठालिया, मधुसूदनगढ़, लटेरी, मुरवास, सिरोंज, मेहलुआ चौराहा, कुरवाई होते हुए बीना जंक्शन को नवीन रेल्वे लाईन से जोड़ा जाये.".

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 10 मार्च, 2022

---

*अनुपूरक मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत होने के तुरन्त पश्चात्.